न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील भरण पोषण प्रकरण संख्या 03/2026 (GCMS: 2026/124)

1. **किशन** पुत्र श्री जगदीश जाति वाल्मिकी निवासी गली नम्बर 03, वार्ड नम्बर 01, आजाद नगर, गंगासिंह स्टेडियम के पीछे, श्रीगंगानगर
2. **विक्की** पुत्र श्री जगदीश जाति वाल्मिकी निवासी गली नम्बर 03, वार्ड नम्बर 01, आजाद नगर, गंगासिंह स्टेडियम के पीछे, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्री जगदीश पुत्र श्री हनुमान** जाति वाल्मिकी निवासी गली नम्बर 03, वार्ड नम्बर 01, आजाद नगर, गंगासिंह स्टेडियम के पीछे, श्रीगंगानगर
2. **श्रीमती इन्द्रा** पत्नी श्री जगदीश जाति वाल्मिकी निवासी गली नम्बर 03, वार्ड नम्बर 01, आजाद नगर, गंगासिंह स्टेडियम के पीछे, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.05.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट स्वयं उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी की ओर से उनके विधि न्याय मित्र श्री शिव प्रकाश कालड़ा उपस्थित हुए, उन्हें क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर सुना गया।

अपीलार्थी के विधि न्याय मित्र को अपीलार्थीगण के संतान की हैसियत से इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील की सुनवाई करने का इस अधिकरण को क्षेत्राधिकार है अथवा नहीं? के सम्बन्ध में अपीलार्थी के विधि न्याय मित्र ने दिनांक 29.04.2026 को सुना गया तो उनके द्वारा न्यायिक दृष्टांत पेश करने हेतु समय चाहा, परन्तु आगामी पेशी दिनांक 01.05.2026 को उनके द्वारा कोई न्यायिक दृष्टांत पेश नहीं किया गया। इस पर पुनः अपीलार्थी के विधि न्याय मित्र को पुनः दिनांक 06.05.2026 तक न्यायिक दृष्टांत पेश करने हेतु समय दिया गया, परन्तु उनके द्वारा कोई न्यायिक दृष्टांत पेश नहीं किया गया। इस पर पत्रावली में आदेश हेतु तिथि निर्धारित की गई और उससे पूर्व न्यायिक दृष्टांत पेश करने हेतु आदेशित किया गया। परन्तु अपीलार्थी के विधि न्याय मित्र द्वारा आज दिनांक तक कोई न्यायिक दृष्टांत पेश नहीं किया गया।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अधीनस्थ न्यायालय में जगदीश एवं इन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र अपने पुत्रों किशन एवं विक्की के विरूद्ध माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 5 व 23 के अन्तर्गत पेश किया था, जिसमें उसने अपनी प्रत्येक संतान से प्रतिमाह भरण पोषण दिलवाने की प्रार्थना की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकरण में वर्तमान अपीलार्थी किशन एवं विक्की जो की अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी के रूप मे थे, को सम्मन की तामील के बावजूद भी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ जिस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने उसके विरूद्ध दिनांक 17.12.2025 एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया था और अपने आदेश दिनांक 19.01.2026 के द्वारा वर्तमान अपीलार्थीगण को 2500–2500 रूपये प्रत्येक को, कुल 5000/– रूपये प्रतिमाह रेस्पोडेंट को अदा करने का आदेश दिया गया। जिसके विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थी किशन एवं विक्की द्वारा यह अपील माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत अपील पेश कर, उक्त आदेश दिनांक 19.01.2026 को निरस्त करवाने के लिए प्रार्थना की है।

यह अपील प्रार्थी किशन एवं विक्की ने पुत्र **की हैसियत से अपने पिता जगदीश एवं माता इन्द्रा** के विरूद्ध पेश की है। माता पिता एवं भरण पोषण अधिनियम 2007 के तहत पुत्र को अपील पेश करने का कोई **अधिकारिता है अथवा नहीं?** धारा 16(1) निम्न प्रकार से है:

> **धारा 16.अपील–**(1) अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई **वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अंदर, अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा,**
>
> **परन्तु** अपील पर, सन्तान या सम्बन्धी, जिससे ऐसे भरण– पोषण के आदेश के निबन्धनों में किसी धनराशि का भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसे माता–पिता को अपील अधिकरण द्वारा निर्देशित ढंग में इस प्रकार आदेशित धनराशि का लगातार भुगतान करता रहेगा:
>
> **परन्तु** यह और कि अपील अधिकरण साठ दिनो की उक्त अवधि के अवसान के पश्चात् अपील को अनुज्ञात कर सकेगा यदि उसे समाधान है कि अपीलार्थी समय सीमा के अन्तर्गत अपील दाखिल करने हेतु पर्याप्त कारण द्वारा निवारित किया गया था।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा संतान की हैसियत से अपील पेश करने का सम्बन्ध है। उक्त धारा 16(1) के अनुसार अधिकरण के आदेश से व्यथित केवल वरिष्ठ नागरिक व माता–पिता के द्वारा ही अपील प्रस्तुत करने का प्रावधान है। किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने का कोई अधिकार नही दिया गया है ।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 सीआर.एल.आर. (एससी) पेज 726 स्टेट आफ बिहार आदि बनाम अरविन्द कुमार वगैरा के पैरा 10 में निम्न प्रकार से निर्देश दिये गये है:-

> **13. In Manish Goel Vs. Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099.**
>
> **This Courts has held that generally, no Courts has competence to issue a direction contrary to law nor the court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [See also- Vice Chancellor, university of Allahabad & Ors.Vs. Dr. Anand prakash Mishra & Ors. (1997) 10 SCC: and Karnataka State Road Transport Corporations Vs. Ashrafulla Khan & Ors.; AIR 2002 SC 629]**

माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत के अनुसार कोई भी न्यायालय/सरकार/अथोरिटी किसी भी प्रभावी कानून के विपरीत जाकर कोई आदेश/निर्देश जारी नहीं कर सकती है। चूंकि धारा 16(1) के अनुसार केवल वरिष्ठ नागरिक या माता- पिता के द्वारा प्रस्तुत अपील को ही इस न्यायालय को सुनने का क्षेत्राधिकार है और किसी संबंधी या संतान को अपील पेश करने की अधिनियम में कोई अधिकारिता नही दी गई है और न ही संतान या संबंधी के रूपमें प्रस्तुत की गई किसी अपील पर उक्त अधिनियम 2007 की धारा 16(1) के विपरीत कोई अपील सुनवाई हेतु ग्रहण की जा सकती है।

इसलिए अपीलार्थी किशन एवं विक्की ने पुत्र के रूप में दिनांक 19.02.2026 को प्रस्तुत की गई यह अपील एडमिशन की स्टेज पर ग्रहण योग्य न होने के कारण, यहां से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट को भिजवाई जावे। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भी भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर